न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2021 (GCMS 2021/22)	26.02.2021	25.08.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु लाल पटवा पुत्र स्व. रामचन्द्र पटवा
   खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार,
   सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधी नगर,
   चित्तौड़गढ़
2. सत्यपाल चावला पुत्र कन्हैया लाल चावला,
   मालिक मैसर्स सत्यम लघु उद्योग,
   जी–11, चम्बल इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा 324007

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। आवेदक का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रेल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2020 को समय 3:00 पी.एम. पर मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार, सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचें, वहां पर प्रभु लाल पटवा पुत्र रामचन्द्र पटवा, प्रभु लाल पटवा को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर प्रभु लाल पटवा ने स्वंय को मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार, सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधीनगर, चित्तौडगढ का खाद्यकारोबारकर्ता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा–पत्र एवं स्वंय के आधार कार्ड को स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान के स्टोर का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु तैयार किये जाने वाली नमकीन बनाने में घटक के रूप में बेसन (सत्यम गोल्ड) 40 किलोग्राम के 112 कट्टे रखे थे के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर एक 40 किलोग्राम के कट्टे बेसन (सत्यम गोल्ड) को खुलवाकर उसमें से 2 किलोग्राम बेसन (सत्यम गोल्ड) खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक प्रभु लाल पटवा को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदा, जिसकी कीमत प्रभु लाल पटवा को 140/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे प्रभु लाल पटवा एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता प्रभु लाल पटवा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन (सत्यम गोल्ड) 2 किलोग्राम को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक जारो में बराबर–बराबर डाला (प्रत्येक जार में 500 ग्राम) एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। खरीदशुदा बेसन (सत्यम गोल्ड) के कट्टे की फोटो कॉपी करवाकर कॉपी को लेबल के रूप में चारो नमूना भागों के साथ संलग्न किया। आवेदक ने लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक एएम–1238 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकाराबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर एएम–1238 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्दं चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को कहा जिसे प्रभु लाल पटवा एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। शेष माल को सीजर फॉर्म नंबर 2 एवं 3 तैयार कर सीज किया गया, फर्द रिपोर्ट तथा सीजर फॉर्म नंबर 2 एवं 3 मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 4644 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./293/एक्ट/2020/302 दिनांक 10.11.2020 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (सत्यम गोल्ड) का नमूना मिसब्रान्डेड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। मैसर्स सत्यम लघु उद्योग, जी–11, चम्बल इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 23.11. 2020 तथा प्राप्त पत्र दिनांक 08.12.2020 मय खाद्य अनुज्ञा–पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं स्वंय के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। प्रभु लाल पटवा पुत्र खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार, सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन (मौके पर प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.08.2019 को अवधि पार हो चुका है) लिये खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाना पाया गया जो कि जुर्माने से दण्डनीय है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ ने पत्र क्रमांक 245 दिनांक 15.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन है। उक्त प्रकरण में प्रभु लाल पटवा एवं अन्य ने खाद्य पदार्थ बेसन (सत्यम गोल्ड) मिसब्रान्डेड का विक्रय करके **FSSA** 2006 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** (**Contravention of Regulation No. 2.2.1(7)**) (**FSSAI Licence Number not given**), **2.2.2(8)** (**Batch No Not given**), **2.2.2(9)** (**Date of Packing No Not given**), **2.2.2(10)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(**Best Before Not given**) **of FSSA** (**Packaging and Labelling**) **Regulation 2011**, धारा 26(2)(**ii**) के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृ ति प्रदान करता हूँ जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 52 (अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध) के अन्तर्गत निहित है साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन लिये विक्रय किया जाना पाया गया जो कि जुर्माने से दण्डनीय है जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 58 (अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध) के अन्तर्गत निहित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कमरा नंबर बी–7, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान, गवाह संख्या 2 हितेश जोशी पुत्र ईशा शंकर जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय कलेक्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 3 शंकरलाल पुत्र हीरालाल माली, उम्र 22 गांव होडा पोस्ट सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 4 डॉ0 रामेकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं गवाह संख्या 5 रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन की छाया प्रति।
2. एरिया नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
3. पदस्थापना आदेश छाया प्रति।
4. खरीद रसीद मूल।
5. फार्म संख्या 5 ए मूल।
6. फर्द रिपोर्ट मूल।
7. बेसन के कट्टे की प्रति।
8. सीजर फार्म संख्या 2 व 3 ।
9. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
10. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की फार्म संख्या 6 की रसीद मूल।
11. अभिहित अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
12. अभिहित अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त विश्लेषण सूचना पत्र मूल।
13. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर का विश्लेषण सूचना फार्म नंबर बी मूल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. प्रभुलाल पटवा, मैसर्स श्रीजी नमकीन भण्डार, चित्तौड़गढ़ से मौके पर प्राप्त खाद्य रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड तथा आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियॉ।
15. मैसर्स सत्यम लघु उद्योग, जी–11, चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा को सूचना उपलब्ध करवानें हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 23.11.2020 तथा प्राप्त पत्र दिनांक 08.12.2020 मय खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटभ रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रतियां।
16. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति का मूल पत्र।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 31.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 25.08.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दिनांक 25.08.2021 को जवाब परिवादी प्रस्तुत कर परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि अभियुक्त मैसर्स श्रीजी नमकीन भण्डार के नाम एंव शैली से नमकीन निर्माण का कार्य करता था। अभियुक्त संख्या 1 नमकीन निर्माण हेतु, अभियुक्त संख्या 2 से नमकीन निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री बेसन, तेल नमक, मिर्च इत्यादि संबंधित अनुज्ञेय कम्पनी से सील बन्द क्रय करता है। परिवादी द्वारा मांगे जाने पर अभियुक्त संख्या 2 के कट्टे जो पुनः लौटाये जाने थे उनमें से परिवादी द्वारा कुछ बेसन परिवादी के मांगने पर परिवादी को दिया गया। पवरिवादी के द्वारा कोई रकम अभियुक्त संख्या 1 को नहीं दी। परिवादी द्वारा मौके पर कोई 5 ए नहीं भरा गया न ही इस पर अभियुक्त एंव गवाहन के मौके पर कोई तस्दीक करा कर हस्ताक्षर कराए गए। परिवादी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 से मौके पर वापसी हेतु रखे कट्टे में से बेसन लिया किन्तु इसके उपरान्त कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की, परिवादी द्वारा अपने स्तर पर कट्टे में से लिए गए बेसन की लेब रिपोर्ट बेसन मानको के अनुरुप ही पायी गयी। परिवादी स्वंय अपने रिपोर्ट में मात्र 2 किलो बेसन लिये जाने का उललेख किया है। परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में, परिवाद में किसी प्रकार से कट्टे की रिपोर्टिंग नहीं की गई। तब परिवादी एंव मौका रिपोर्ट में पैकिंग एंव बेच नम्बर के सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं है तो लेब रिपोर्ट मिस ब्रान्डिंग एंव पैंकिग बेच नम्बर इत्यादि कि किस आधार पर रिपोर्ट की गई इस सम्बन्ध में कोई परिवाद में स्पष्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिवचन नहीं होने से परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा अभियुक्त संख्या 1 को कट्टे दिनांक 31.10.2021 बिलिंग कर ट्रान्सपोर्ट से भेजे गए जो अभियुक्त संख्या 2 को चित्तौड़गढ़ में दिनांक 02.11.2021 को प्राप्त हुए। कट्टो पर एक्पायरी दिनांक नहीं होने से अभियुक्त संख्या 1 ने अभियुक्त संख्या 2 को पुनः लौटाने हेतु सूचित किया। अभियुक्त संख्या 2 ने कोविड संक्रमण काल होने से स्टॉफ मजदुर की कमी मानवीय भूल हो जाने से कट्टें पुनः भेजने हेतु कहा अभियुक्त संख्या 1 ने बेसन कट्टे वापस ट्रान्सपोर्ट से भेजने हेतु अलग रखे हुए थे। अभियुक्त संख्या 1 ने कट्टे बेसन उपयोग में नही आए, इस हेतु अलग रख दिये। अभियुक्त संख्या 1 अभियुक्त संख्या 2 का उपभोक्ता था। अभियुक्त संख्या 1 इन कट्टो को अन्य व्यक्तियो को विक्रय हेतु दुकान में नहीं रख रखा था। अभियुक्त संख्या 1 के पास वैद्य एंव प्रभावी लाईसेन्स से नमकीन निर्माण एंव विक्रय का व्यवसाय करता था जो परिवाद के टाईटल से ही प्रतिबिम्बित होता है। अभियुक्त संख्या 1 ने अपना लाईसेन्स पुनः रिन्यू करने हेतु करने आवेदन कर रखा है जो लम्बित है। लाईसेन्स रिन्यू होने तक अभियुक्त संख्या 1 किसी प्रकार से कोई व्यवसाय नही कर नमकीन निर्माण नही करना एंव विक्रय नही करना परिवाद पत्र को पढने से ही सिद्ध है। परिवादी के किसी प्रकार से कोई नमकीन का व्यवसाय करना जाहिर नही आता है। अतः जवाब स्वीकार फरमाय जाकर परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जाने आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण को इसी स्तर पर खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ बेसन (सत्यम गोल्ड) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 08.11.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.11.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (सत्यम गोल्ड) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1238** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 76 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1238** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 9 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 09.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4644 दिनांक 12.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 293/ACT/2020/302 Dated 10-11-2020** की प्रति जरिये डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 293/ACT/2020/302 Dated 10-11-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report LS 293/ACT/2020/302 Dated 10-11-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Vishal Mittal Food Safety Officer, (Central Team) Directorate, Jaipur a sample of Besan (Satyam Gold) bearing code no. and serial no. AM- 1238 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 09.11.2020 for analysis.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 76 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope

I found the sample to be cereals and cereal products falling under Regulation No. 2.4.4 (Besan) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 09.11.2020 to 10.11.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The sample packed in wide mouth plastic pet jar taken from 40 kg. bag.

(ii) Physical appearance:- Yellowish powder, no off odour, no visible insect infestation.

(iii) Label :-- Loose sample of Besan, Brand- Satyam Gold, Name of food- Besan, Mfg by- Satyam Laghu Udhyog, G-11, Chambel Ind. Area, Kota, Green symbol of veg.- Present, Best before 2 months from the date of packing, Pkd. on.- Absent, Batch No.- Absent, Contravention to Regulation 2.2.2(8),(9),(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Fssai lic. No.- Absent on the label Contravention to Regulation 26(2)(v) & 31(i) of Food Safety & Standards Act 2006.

Opinion:- The sample of Besan (Satyam Gold) Bearing code no. and serial no. AM- 1238 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 76 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 09.11.2020 से 10.11.2020 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Cereals and cereal products falling under Regulation No. 2.4.4 (Besan) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. Loose sample of Besan, Brand- Satyam Gold, Name of food- Besan, Mfg by- Satyam Laghu Udhyog, G-11, Chambel Ind. Area, Kota, Green symbol of veg.- Present, Best before 2 months from the date of packing, Pkd. on.- Absent, Batch No.- Absent, Contravention to Regulation 2.2.2(8),(9),(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Fssai lic. No.- Absent on the label Contravention to Regulation 26(2)(v) & 31(i) of Food Safety & Standards Act 2006. Besan (Satyam Gold) Bearing code no. and serial no. AM- 1238 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1238** बेसन (सत्यम गोल्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** के तहत मिसब्राण्डेड स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4644 दिनांक 12.11.2020 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/245 दिनांक 15.01.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 16 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अस्वीकार किया है, जबकि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है, एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है। हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–
  (a) Supplied after the date of its expiry; or
  (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  (c) Unsafe or misbranded; or
  (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  (f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
  (a) sold after the date of its expiry; or
  (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
  (c) misbranded; or
  (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
  (e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना जाहिर होता है, अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 प्रभु लाल पटवा पुत्र स्व. रामचन्द्र पटवा खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार, सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 सत्यपाल चावला पुत्र कन्हैया लाल चावला, मालिक मैसर्स सत्यम लघु उद्योग, जी–11, चम्बल इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा 324007 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। इसके साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा–पत्र के खाद्य पदार्थो का विक्रय करने से संबंध में अधिनियम की धारा 58 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52, 58 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

58. Penalty for contraventions for which no specific penalty is provided.

Whoever contravenes any provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, for the contravention of which no penalty has been separately provided in this Chapter, shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री प्रभु लाल पटवा पुत्र स्व. रामचन्द्र पटवा खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स श्री जी नमकीन भण्डार, सेक्टर नं. 5 एफ 1/153, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय हेतु उपयोग में लिये का दोष प्रमाणित होने से रूपये 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र एवं बिना खाद्य अनुज्ञा–पत्र के खाद्य पदार्थों के विक्रय का दोष प्रमाणित होने से रूपये 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को कुल रूपये 40000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का निर्माता होने से अप्रार्थी संख्या 2 श्री सत्यपाल चावला पुत्र कन्हैया लाल चावला, मालिक मैसर्स सत्यम लघु उद्योग, जी–11, चम्बल इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा 324007 को रूपये 60000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र अर्थात अप्रार्थीगण को कुल रूपयें 100000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.08.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official